

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 7903

दिनांक:- 25/09/2025

कार्यालय आदेश

श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 718597) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को कार्यालय कोषाधिकारी, चूरु के पत्रांक 3469 दिनांक 13.08.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम-96 अन्तर्गत एवं वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 23.01.2025 (कुल 01 दिवस)

उक्त 01 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज कार्मिक श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), की सेवा पुस्तिका में (लाल स्यायी से) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे। उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि तक के लिए कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 7903

दिनांक:- 25/09/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, चूरु।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 718597) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कोषाधिकारी, चूरु।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)